

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला-टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या-84 / 2017

वाद प्रस्तुति दिनांक :-28.06.2017

निर्णय दिनांक:- 12.07.2019

उनवान

श्योजी पुत्र सुखदेवा जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा तह0 पीपलू जिला-टोंक

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र सुखदेवा जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
2. रामप्रसाद पुत्र रामनारायण जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
3. कल्याण पुत्र माध्या जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
4. गोपाल पुत्र बोदु जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
5. श्रीपाल पुत्र बोदु जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
6. श्रवण पुत्र बोदु जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
7. धन्ना पुत्र जंगल्या जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
8. कालु पुत्र जंगल्या जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
9. गणेश उर्फ गोगा पुत्र लादया उर्फ लादु जाति-बैरवा निवासी ग्राम-चोंदमा, तहसील फागी, जिला-जयपुर
10. नानूलाल पुत्र गणेश जाति-बैरवा निवासी ग्राम-चोंदमा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर
11. रामप्रसाद पुत्र कालु जाति-खटीक निवासी ग्राम-रणौली तहसील-पीपलू जिला-टोंक

sw
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

12. तहसीलदार, पीपलू, जिला-टोंक
13. मनभर देवी पत्नि श्योजी बैरवा जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
14. रोशन देवी पत्नि रामस्वरूप बैरवा जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
15. ममता पत्नि राधाकिशन बैरवा जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक
16. सन्तरा पत्नि रामप्रसाद बैरवा जाति-बैरवा, निवासी ग्राम-बिजलपुरा, तह0 पीपलू जिला-टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा

अधिवक्ता वादी:- श्री विवेक चौधरी

निर्णय दिनांक:-12.07.2019

अधिवक्ता प्रतिवादीगण:- श्री राजेन्द्र गुर्जर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 08.05.2019 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 को दो-दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित हैं।

अतः दावा बाबत तकास्मा स्वीकार किया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा न0 176/2 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 109/2 रकबा 01 बीघा, ख0न0 177/2 रकबा 07 बिस्वा, ख0न0 276/2 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाकैँ ग्राम-बिजलपुरा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश व श्योजी पुत्र सुखदेवा बैरवा की खातेदारी में रहेगा।

ASW
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

आराजी खसरा न० 176/4 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, ख०न० 109/4 रकबा 01 बीघा, ख०न० 177/4 रकबा 06 बिस्वा, ख०न० 276/3 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम-बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 02 रामप्रसाद पुत्र रामनारायण बैरवा की खातेदारी में रहेगा। आराजी खसरा न० 176/1 रकबा 01 बीघा, ख०न० 176/3 रकबा 01 बीघा, ख०न० 177/4 रकबा 04 बिस्वा, ख०न० 177/3 रकबा 03 बिस्वा, ख०न० 131 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम-बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 03 कल्याण पुत्र माध्या बैरवा की खातेदारी में रहेगा। आराजी ख०न० 109/3 रकबा 01 बीघा वाकै ग्राम बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 03 कल्याण पुत्र माध्या बैरवा का 3/5 हिस्सा व सुगना पत्नि श्रीराम बैरवा का 2/5 हिस्सा खातेदारी में रहेगा। आराजी खसरा न० 177/6 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा, ख०न० 130/2 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 07 बीघा 08 वाकै ग्राम-बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 07 और 08 धन्ना व कालु पुत्रान् जंगल्या जाति-बैरवा की खातेदारी में रहेगा। आराजी ख०न० 177/5 रकबा 02 बिस्वा, ख०न० 178 रकबा 07 बीघा, ख०न० 129 रकबा 07 बिस्वा, कुल किता 03 कुल रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 09 गोगा उर्फ गणेश व रामलाल पुत्र लादया के नाम खातेदारी में रहेगा। आराजी खसरा न० 107 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, ख०न० 108/1 रकबा 04 बिस्वा, कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा वाकै ग्राम-बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 की खातेदारी में रहेगा। आराजी ख०न० 108/2 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, ख०न० 109/1 रकबा 15 बिस्वा, कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम-बिजलपुरा प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 की खातेदारी में रहेगा। आराजी ख०न० 130 रकबा 01 बिस्वा (चाह), वाकै ग्राम-बिजलपुरा में प्रतिवादी संख्या 07 व 08 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में रहेगा। आराजी ख०न० 274 रकबा 12 बिस्वा, ख०न० 275 रकबा 19 बिस्वा, ख०न० 276/1 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 2 बीघा वाकै ग्राम बिजलपुरा, प्रतिवादी संख्या 11 की खातेदारी में रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम का उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, पीपलू